International Journal of Jyotish Research: 2023; 8(2): 294-300

ISSN: 2456-4427
Impact Factor: RJIF: 5.11
Jyotish 2023; 8(2): 294-300
© 2023 Jyotish
www.jyotishajournal.com
Received: 22-10-2023
Accepted: 28-11-2023

डॉ. जयप्रकाश द्विवेदी
सामवेद कौथुम शाखा
अध्यापक राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत

Correspondence
डॉ. जयप्रकाश द्विवेदी
सामवेद कौथुम शाखा
अध्यापक राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत

शास्त्रीय दृष्टि में गुरुकुल शिक्षा पद्धति

डॉ. जयप्रकाश द्विवेदी

सारांश

गुरुकुलों में पढाए जाने वाले वैदिकी शिक्षा में जहाँ पर "मातृदेवो भव" पितृदेवो भव " आचार्यदेवो भव" अतिथिदेवो भव" की शिक्षा दी जाती थी वही पर आज के अंग्रेजी स्कूलों में इन शिक्षाओं का सतत् अभाव दिखता है इस बात से सभी अभिभावक लोग दु:खी है। हम इतने असफल कैसे होते जा रहें हैं? किसी भी समाज की स्थिति का अनुमान वहां के शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति से लगाया जा सकता है। आज हम इसमें बहुत असफल हैं। हमने स्कूल और कॉलेज तो बना लिए लेकिन जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण हुआ उसकी पूर्ति के योग्य इंसान और सिस्टम नहीं बना पाए।जब आप अपने देश का इतिहास पढ़ेंगे तो आप गर्व भी महसूस करेंगे और रोएंगे भी क्योंकि आपने जो गवां दिया है वो पैसों रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता! हमें एक बड़े पुनर्जागरण की जरूरत है। जनता जब तक नहीं जागती हम अपनी विरासत को कभी पुनः हासिल नहीं कर पाएंगे ।

अत: हम अपने भारत के अतीत गौरवशाली इतिहास को पुन: गुरुकुलों के शिक्षण प्रणाली में जुडकर अपने देश की खोई प्रतिष्ठा को लौटाने का प्रयास करे। सच्चा मानव बनकर एक सच्चा देशभक्त बनें।

कूटशब्द : शिक्षा, स्कूल, शिक्षण प्रणाली, शैक्षणिक संस्थान

प्रस्तावना

गुरुकुलशिक्षा वह शिक्षा पद्धति है जिसमें गुरु अथवा शिक्षक अपने विद्यालय अथवा आश्रम में छात्रों को रखकर वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कराता है ।

गुरुकुल के बनाए नियमों तथा शास्त्रों में बतलाए हुए ब्रह्मचर्यआश्रम के अनुकूल आचरण रखते हुए गुरुकुल-आश्रम को अपना आदर्श परिवार मानकर विद्याध्ययन करना ही "गुरुकुल शिक्षाध्ययन" कहलाता है ।प्रस्तुत लेख में शास्त्र के दृष्टि में गुरुकुल शिक्षा पद्धति का क्या स्वरूप होनी चहिए प्राचीनकालीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति का स्वरूप किस प्रकार से था तथा गुरुकुलों का ह्रास होने का कारण क्या था? इत्यादि विषयों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाएगा।

गुरुकुलीय शिक्षापद्धति वैश्विक दृष्टि से अत्यन्त प्राचीन शिक्षा पद्धति है । रामायण में वर्णित है कि श्रीरामचन्द्र अपने चारों भाईयों के साथ वशिष्ठ ऋषि के गुरुकुल में शिक्षाअध्ययन के लिए गए थे । इसी प्रकार श्री कृष्ण एवं बलराम ने भी अपने गुरु ऋषि सान्दीपनि के आश्रम में जाकर विद्याध्ययन किए थे । महाभारतकाल में कौरव के दुर्योधन आदि सभी सौ पुत्र एवं पाण्डव के युधिष्ठिर आदि पाँचपुत्रों ने भी आचार्य द्रोण से गुरुकुल में जाकर धनुर्वेदादि का शिक्षाध्ययन किए थे । गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का यह गौरवपूर्ण नियम रहा है कि छात्र चाहे राजा के अथवा सामान्य प्रजा के हो दोनों प्रकार के छात्रों को विधाध्ययन करने हेतु गुरुकुल आश्रम में ही जाना पडता था । सभी छात्र गुरुकुल के एक ही छात्रावास में रहकर यज्ञोपवीत से प्रवेश प्रारम्भ होकर समावर्तन होने तक कुल १६ वर्ष के लिए शिक्षाध्ययन करते थे । " अथात: षोडशे वर्षे गोदानम्-"(गोभिल गृह्यसूत्र-३/१/१) यह सर्वविदित है कि वसुदेव राजा के पुत्र श्रीकृष्ण एवं गरीब सुदामा दोनों ही एक साथ गुरुकुल में रहकर वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किए थे ।

गुरुकुल की एक और विशेषता होती थी कि विद्यार्थी जब गृह्य से गुरुकुल शिक्षाध्ययन करने जाता था शिक्षापूर्ण होने के पश्चात ही वह घर लौटता था ,साथ ही गुरुकुलों में शिक्षाध्ययन के साथ ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना परम आवश्यक होता था।

किसी भी गुरुकुल के सञ्चालन में तीन प्रमुख अङ्गों का होना नितान्त जरुरी है-

१. विद्यार्थी (ब्रह्मचारी बटुक)
२. अध्यापक (आचार्य, गुरु)
३. गुरुकुल आवास (विद्यालय परिसर)

१. विद्यार्थी (ब्रह्मचारी बटुक, ब्रह्मचर्य आश्रम)

मनुस्मृति के अनुसार वेदों की प्रसिद्धि -महिमा क्रम में (चार वर्ण, तीनलोक, भूत, वर्तमान, भविष्य)के साथ चार प्रकार आश्रमों के वर्णन प्राप्त होते हैं – ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास ये क्रमशः जीवन के प्रमुख चार आश्रम कहलाते हैं ।

''चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् ।
भूतं भव्यं भविष्यञ्च सर्वं वेदात् प्रसिद्धयति ॥'' (मनुस्मृति - 12/97)

गुरुकुलीय शिक्षा में छात्र को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर शिक्षाध्ययन करने का निर्देश शास्त्रों में बतलाया गया है ।

वेदज्ञान पिपासु विद्यार्थियों के विषय में पारस्कर गृह्यसूत्र में तीन प्रकार के ब्रह्मचारियों के वर्णन प्राप्त होते हैं ।

"त्रयः स्नातका भवन्ति विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्याव्रतस्नातक इति ।'' (पारस्कर गृ.सू. 32)

1. विद्यास्नातक ब्रह्मचारी 2. व्रत स्नातक ब्रह्मचारी 3. विद्या-व्रत स्नातक ब्रह्मचारी।

१. विद्यास्नातक ब्रह्मचारी – "समाप्य वेदमसमाप्य व्रतं य: समावर्तते स विद्यास्नातकः " (पा. गृ.सू. 32) ऐसा ब्रह्मचारी जिसने गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य पालन करते हुए वेदादि विद्याशास्त्र में पूर्ण होकर स्नातक(शास्त्री) उपाधी से अलंकृत

हुआ हो, परन्तु वेद पूर्ण होने पर भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हो, वह विद्यास्नातक ब्रह्मचारी कहलाता है।

२.व्रतस्नातक ब्रह्मचारी – "समाप्य व्रतमसमाप्य वेदं यः समावर्तते स व्रतस्नातकः" (पा. गृ.सू. 32)

ऐसा ब्रह्मचारी छात्र जिसने गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत (मौञ्जी, मेखला, दण्डधारण आदि के साथ) गुरुकुल की सेवा किया हो परन्तु वेदशास्त्र पूर्ण नहीं किया हो वह व्रतस्नातक ब्रह्मचारी कहलाता है।

३.विद्या-व्रत स्नातक ब्रह्मचारी – "उभयं समाप्य यः समावर्तते स विद्याव्रतः स्नातकः" (पा. गृ.सू. 32)

ऐसा विद्यार्थी जो गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत के सभी नियमों का कठोरता से अक्षरश: पालन करते हुए वेदादि शास्त्रविद्याओं का अध्ययन से स्नान किया हो वह विद्याव्रतस्नातक ब्रह्मचारी कहलाता है।

हमारे स्मृति ग्रन्थ में चार प्रकार के आश्रम व्यवस्था बतलाई गई है । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास इन चार आश्रमों में प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य नामक हमारे शिक्षणकाल से जुड़ा हुआ होता है । पारिवारिक सदस्यों की पहचान के साथ वर्णोच्चारण आदि शिक्षाओं की सामान्य प्राथमिक ज्ञान हमें माता-पिता नामक प्रथम गुरु से ही प्राप्त हो जाता है परन्तु वेदादि शास्त्रों का ज्ञान एवं उच्च शिक्षा का ज्ञान लेने के लिए तथा यज्ञोपवीत संस्कार से सुसज्जित होने हेतु गुरुकुलों में जाना ही पडता है । वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने अथवा ब्रह्मविद्या ज्ञान को अपने अन्तःकरण में धारण करने से पूर्व अपने चित्तवृत्ति एवं शरीर को शुद्ध – संस्कारवान होने के लिए ही विद्यार्थी को यज्ञोपवीत संस्कार से पूर्ण होना चाहिए । इन्हीं कारणों से यज्ञोपवीत संस्कार वालों को द्विज (द्वितीय जन्म) वाले नाम से भी पुकारते हैं । माँ के गर्भ से मनुष्य का प्रथम जन्म होता है परन्तु जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाय तो वह द्विज कहलाता है । प्राचीन काल से यह परम्परा है कि स्वगृह में ही ब्राह्मण बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार किए जाते हैं तत्पश्चात् वह गुरुकुलों में जाने योग्य बन पाता है अथवा वह ब्राह्मण बटुक अपने पिता से ही परम्परानुसार वेद शास्त्रों का अध्ययन करता है ।

विद्यार्थियों के यज्ञोपवीत संस्कार: यज्ञोपवीत काल के विषय में शास्त्रों में कतिपय प्रमाण प्राप्त होते हैं । माता के गर्भ माह से अष्टम-८वें वर्ष में ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत होनी चाहिए, इसी क्रम में क्षत्रिय को 11वें एवं वैश्य को १२ वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गुरुकुल में विद्याध्ययन करने हेतु भेज देनी चाहिए ।

गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् ।
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भातु द्वादशे विशः (आश्वलायन गृह्यसूत्र 2/36)

२.गुरुकुल में अध्यापक(आचार्य,गुरु) का महत्त्व : किसी भी गुरुकुल में गुरु का ही सर्वोपरी महत्त्व होता है । गुरु कुम्हार की भाँती होता है । वह जिस मिट्टी को जैसे आकृति देना चाहे तदवत छात्र को निर्माण करता है ।

''यथा मृत्पिण्डतः कर्ता कुरुते यद्यदिच्छति'' (हितोपदेश – 34)

शास्त्रों में गुरु शब्द की व्याख्या की गई है । ''गु'' अर्थात् अज्ञानता रूपी अन्धकार को रोकने वाला ।

''अज्ञानं रुणद्धि यः स गुरुः'' जो अज्ञान रूपी अन्धकार को रोक देता है वही गुरु कहलाता है । गुरु को ही आचार्य शब्द से भी सम्बोधित किया जाता है, यास्क कहते हैं कि आचार्य को इसलिए आचार्य शब्द से सम्बोधित करते हैं कि वह छात्रों में आचरण का ज्ञान सिखाता है, छात्रों के लिए शब्दों के अर्थों का चयन करता है अथवा छात्रों में बुद्धि का निर्माण करता है । आचारं ग्राहयति,

आचिनोति अर्थान्, आचिनोति बुद्धिमिति वा''(निरुक्त१/२) गुरु में उपर्युक्त गुणों का भण्डार होने से ही वह आचार्य ब्रह्म, विष्णु एवं महेश्वर से भी ऊपर परब्रह्म की उपाधी धारण करता है ।

गुरुकुल आवास(विद्यालय परिसर): प्राचीनकाल से यह विशुद्ध परम्परा चली आ रही है कि गुरुकुल विद्यालय परिसर गाँव ,नगर के भीड अथवा कोलाहल से दूरस्थ किसी एकान्त स्थान में होता रहा है ,जहाँ पर विशुद्ध वनों से युक्त हवा,नदी जल,एवं पशु-पक्षियों के कलरव वाणी सम्मोहित करता हो। प्रारम्भ में गुरुकुलों की शिक्षा पाठ पेड के नीची बैठाकर दी जाती थी, ऋतु-मौसम के अनुकुल समयानुसार कुटिया,झोपडी, आदि बनाकर गरुकुल चलाए जाने लगे। सामवेद के अनुसार ज्ञान का उद्गम स्थान नदियों के सङ्गम,पर्वतों के गुफाएँ, आदि हुआ करती थी।"उपह्वरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनाम्। धिया विप्रो अजायत ॥ (सामवेद.१४३)

गुरुकुलों का स्वरुप

प्राचीन काल के गुरुकुलों में दो प्रकार के गुरुकुल सञ्चालित होते थे ।

- एकल गुरुकुल परिवार
- संयुक्त गुरुकुल परिवार अथवा गुरुकुल महाविद्यालय

एकल गुरुकुल परिवार – इस गुरुकुल में एक ही गुरु अपने (गुरुमाता, गुरुपुत्र) के साथ छात्रों को गुरुकुल में रखकर सम्पूर्ण विद्याओं का साङ्गोपाङ्ग अध्ययन कराते थे, जैसे – सान्दीपनि के आश्रम में श्रीकृष्ण, बलराम, सुदामा सहित पूरे गुरुपरिवार रहता था ।

संयुक्त गुरुकुल परिवार (महाविद्यालय)– इस प्रकार के गुरुकुलों में आचार्य प्रमुख कुलपति के रुप में प्रतिष्ठित होते थे । उदाहरण के लिए ऋषि कण्व के गुरुकुल में 10,000 (दस हजार) छात्र शिक्षाध्ययन करते थे ।

गुरुकुलों का यह नियम रहा है कि जिस महाविद्यालय में 10,000 (दस हजार) छात्र अध्ययन करते हैं वह महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय नाम से जाना जाता था तथा वहाँ के प्रमुख आचार्य को कुलपति की उपाधी से अलंकृत किया जाता था । प्राचीनकाल में आचार्य शौनक को सर्व प्रथम कुलपति की उपाधी प्राप्त हुई है । इस तरह वह प्रमुख आचार्य कुलपति अपने वरिष्ठ छात्रों को यह जिम्मेदारी देकर कक्षाओं को वर्गीकृत कर देता था, परन्तु सभी पर नियन्त्रण प्रमुख आचार्य का ही रहता था ।

गुरुकुलों में विद्याध्ययन हेतु शिष्यों की योग्यता-विचार

विद्या प्राप्ति के लिए गुरुओं में गुणवत्ता होने के साथ शिष्यों में भी कतिपय गुणों का होना नितान्त जरुरी है।इस विषय में शास्त्रों में प्रमाण प्राप्त होते हैं-

विद्याध्ययन करने के क्रम में शिष्यों की कुछ योग्यता एवं मर्यादाएँ शास्त्रों में बतलाई गई है।शास्त्र के अनुसार अशिष्यों को विद्याध्ययन नहीं करानी चाहिए, लोभवश अथवा राजाभय से विद्याध्ययन कराने पर गुरु को स्वयं पाप लगता है।"अशिष्याय न देयम्,यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति" (गणपति अथर्वशीर्ष फलश्रुति)।

इसी प्रकार निरुक्तग्रन्थ के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में विद्याध्ययन हेतु विद्यार्थियों के योग्यता का विचार किया गया है। विद्यादान एवं योग्यता के विषय में विद्या स्वयं कह रही है कि इस मेरे विद्यारूपी ज्ञान को उसी को उपदेश करना जो शुचित्व , प्रमादरहित,ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला एवं मेधावी हो ।परन्तु जो विद्याध्ययन करने में गुरु से द्रोह करने वाला हो उसको मेरी विद्या प्रदान नहीं करना।

"यमेव विद्या शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम्।यस्ते न द्रुह्येत् कतमच्च नाह त्स्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्!"(निरुक्त२/१)

वेदाध्ययन में सर्वसामान्य छात्र अर्हता विचार -

नारदीयशिक्षा के अनुसार वेदाध्ययन में सर्व सामान्य अर्हता के विषय में बतलाया गया है कि छोटी-छोटी बातों पर क्रोध करने वाले , हठ करने वाले , आलस्य करने वाले , लगातार रोगग्रस्त रहने वाले , तथा चंचल मन वाले मनुष्य को विद्याध्ययन नहीं करानी चाहिए।

पञ्च विद्यां न गृह्णन्ति चण्डा: स्तब्धाश्च ये नरा:।
अलसाश्च चाऽनरोगाश्च यषां च विसृतं मन:॥ (नारदीय शिक्षा2/8/14)

गुरुकुलों की दिनचर्या

गुरुकुलों की दिनचर्या पालन करना बहुत ही कठीन कार्य होता है । इसमें घर के दिनचर्या सुख-सुविधा से बिलकुल पृथक अनुपालन करना होता है । गुरुकुलीय दिनचर्या से सम्बन्धित कतिपय कार्य इस प्रकार उल्लेखित प्राप्त होते हैं ।

- प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में 3 बजे उठना ।
- शौचादि से निवृत्त होकर नित्यविधि का पालन करना ।
- सूर्योदय से पूर्व प्रातःकालीन सन्ध्या में बैठना ।
- सन्ध्याकार्य करने के उपरान्त समिधाधान एवं ब्रह्मयज्ञ-वेद स्वाध्याय करना।
- गुरुकुलों में गौओं की सेवा करना, आश्रम सेवा करना ।
- गुरु के लिए एवं अपने भोजन बनाने के लिए भीक्षा माँगना एवं वनों से लकडियाँ प्रतिदिन लाना ।
- प्रातःकाल में वेद का पाठ वल्ली लगाना एवं दोपहर में शास्त्रों का अध्ययन करना ।
- सायं कालीन पुनः सन्ध्योपसना, समिदाधान आदि करना ।
- सायंकालीन देवताओं की स्तुतिपाठ एवं दीप प्रज्जवलन आरती करना ।
- सायंकालीन आश्रम में भोजनकार्य में सहयोग करना ।
- यथासाध्य गुरु की सेवा करना ।
- समयानुसार रात्री विश्राम । पुनः प्रातः जागरण दैनिक दिनचर्या
- गुरुकुलों के नियमानुसार अपना जूठा वर्तन एवं गन्दे कपडें आदि नित्य सफाई करना ।
- ब्रह्मचर्यादि नियमों का नित्य पालन करना।

गुरुकुलों में पढ़ायें जाने वाली शिक्षाएँ

गुरुकुलों में अनेक विषयों की शिक्षाएँ पढ़ाई जाती थी इनमें छात्रों का चरित्र निर्माण, व्यवहारिक नैतिक व मौलिक ज्ञान, तथा सामाजिक ज्ञान की शिक्षा के साथ मुख्य रुप से वेदों के (संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद) छः वेदाङ्ग (छन्द, कल्प, ज्योतिष , निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण) उपर्युक्त वेद के 4 भाग एवं वेदांग के छः भाग कुल (10) दशग्रन्थ कहलाते हैं । इसके अतिरिक्त पुराण न्यास मीमांसा, धर्मशास्त्र इस प्रकार कुल 14 विधाएँ गुरुकुलों के अध्ययन क्रम में प्रचलित थी ,यह परम्परा आज भी सञ्चालित है । आचार्य गोभिल के अनुसार यज्ञोपवीतवर्ष से लेकर १६ वर्षों तक वेदों के चारों प्रमुख विषय(संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्) के साथ षडङ्ग पढाएँ जाते थे, इनमें प्रथम चार वर्षकाल "गोदानिक अब्द" द्वितीय चार वर्षकाल "व्रातिकाब्द" तृतीय चार वर्षकाल "उपनिषद् अब्द"एवं अंतिम चार वर्षकाल "ज्येष्ठसामिक अब्द" नाम से यह गोदान अथवा समावर्तन संस्कार समझा जाता है।

प्राचीन गुरुकुलों में वेदों के अतिरिक्त अन्य विषयों को भी शिक्षा दी जाती थी । इनमें धनुर्विद्या, आयुर्विद्या,गन्धर्वविद्या(गायन,नृत्य एवं संगीत कला), दर्शनशास्त्र चिकित्साशास्त्र, खगोलशास्त्र,

गणित, विज्ञान, राजनीति एवं युद्धकला आदि अनेकों विषयों की शिक्षा दी जाती थी । मध्यकालीन भारत में तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभीय, नालन्दा जैसे प्रसिद्ध गुरुकुलों में भी इन विधाओं का पठन-पाठन होता था । आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय गुरुकुल से छात्र रुप में अध्ययन किए तथा यही पर स्वयं आचार्य रुप में भी प्रतिष्ठित रहें है ।

उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त हमारे सनातन संस्कृति परम्परा के गुरुकुलों में क्या क्या पढाई होती थी? ये जान लेना पहले जरूरी है। ये सभी विषय वेदों में सम्प्राप्त होते हैं। इसको विस्तार से जानने के लिए आचार्य कपिलदेव द्विवेदी द्वारा सम्पादित पुस्तक चतुर्वेदीय सुभाषितानि को देखे।

01 अग्नि विद्या (Metallurgy) 02 वायु विद्या (Flight) 03 जल विद्या (Navigation)

04 अंतरिक्ष विद्या (Space Science) 05 पृथ्वी विद्या (Environment) 06 सूर्य विद्या (Solar Study) 07 चन्द्र व लोक विद्या (Lunar Study) 08 मेघ विद्या (Weather Forecast) 09 पदार्थ विद्युत विद्या (Battery) 10 सौर ऊर्जा विद्या (Solar Energy) 11 दिन रात्रि विद्या 12 सृष्टि विद्या (Space Research) 13 खगोल विद्या (Astronomy) 14 भूगोल विद्या (Geography) 15 काल विद्या (Time) 16 भूगर्भ विद्या (Geology Mining) 17 रत्न व धातु विद्या (Gems & Metals) 18 आकर्षण विद्या (Gravity) 19 प्रकाश विद्या (Solar Energy) 20 तार विद्या (Communication) 21 विमान विद्या (Plane) 22 जलयान विद्या (Water Vessels) 23 अग्नेय अस्त्र विद्या (Arms & Ammunition) 24 जीव जंतु विज्ञान विद्या (Zoology Botany)

25 यज्ञ विद्या (Material Sic)

व्यावसायिक और तकनीकी विद्या

26 वाणिज्य (Commerce) 27 कृषि (Agriculture) 28 पशुपालन (Animal Husbandry)

29 पक्षिपलन (Bird Keeping) 30 पशु प्रशिक्षण (Animal Training) 31 यान यन्त्रकार (Mechanics) 32 रथकार (Vehicle Designing) 33 रतन्कार (Gems) 34 सुवर्णकार (Jewellery Designing) 35 वस्त्रकार (Textile) 36 कुम्भकार (Pottery)

37 लोहकार (Metallurgy) 38 तक्षक 39 रंगसाज (Dying) 40 खटवाकर 41 रज्जुकर (Logistics) 42 वास्तुकार (Architect) 43 पाकविद्या (Cooking) 44 सारथ्य (Driving)

45 नदी प्रबन्धक (Water Management) 46 सुचिकार (Data Entry) 47 गोशाला प्रबन्धक (Animal Husbandry) 48 उद्यान पाल (Horticulture) 49 वन पाल (Horticulture) 50 नापित (Paramedical)

गुरुकुलों के गौरवशाली इतिहास पर अँग्रेजी शिक्षा-शासन का कुप्रभाव

अँग्रेजी शिक्षा शासक मैकाले की शिक्षाकुनीति: मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा-हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी "देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था" को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह "अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था" लानी होगी और तभी इस देश में शरीर से हिन्दुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज छात्र पैदा होंगे और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे ब्रिटिश देशहित में काम करेंगे।

1850 तक इस देश में "7 लाख 32 हजार" गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गाँव थे "7 लाख 50 हजार" मतलब हर गाँव में औसतन एक गुरुकुल और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में 'Higher }Learning Institute' हुआ करते थे। उन सबमें 18 विषय पढ़ाए जाते थे और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलके चलाते थे न कि राजा, महाराजा।

अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. Lutherऔर दूसरा था Thomas Munro दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग-

अलग समय सर्वे किया था। Luther, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहाँ 97% साक्षरता है और Munro, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ तो 100% साक्षरता है।

मैकाले का मानना है "कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले उसे पूरी तरह जोत दिया जाता है वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी।" इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैरकानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैरकानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो गैरकानूनी हो गयी, फिर संस्कृत को गैरकानूनी घोषित किया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर ख़त्म कर दिया, उनमें आग लगा दी, उसमें पढ़ाने वाले शिक्षको को उसने मारा- पीटा, जेल में डाला।

प्राचीन काल से ही गुरुकुलों की एक आदर्श विशिष्टता रही है कि गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती रही है। इस तरह से गुरुकुलों के अतीत गौरव को ख़त्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे 'फ्री स्कूल' कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गयी, बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गयी, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गयी, ये तीनों गुलामी ज़माने के यूनिवर्सिटी आज भी देश में मौजूद हैं।

मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी बहुत मशहूर चिट्ठी है वो, उसमें वो लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपनी परम्पराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे, जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाएँ इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी।" उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है और उस एक्ट की महिमा देखिये कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है, जबकि अंग्रेजी में बोलते हैं कि दूसरों पर रोब पड़ेगा, हम तो खुद में हीन हो गए हैं जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है, उस देश का कैसे कल्याण संभव है?

हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति बहुत ही समृद्ध और विशाल थी और यही कारण था कि हम विश्वगुरु थे। हमारी शिक्षा पद्धति से पैसे कमाने वाले मशीन पैदा नहीं होते थे बल्कि मानवता के कल्याण हेतु अच्छे और विद्वान इंसान पैदा होते थे। हमने अपना इतिहास गवां दिया है। क्योंकि अंग्रेज हमसे हमारी पहचान छीनने में सफल हुए। उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को बर्बाद कर के हमें अपनी संस्कृति, मूल धर्म, ज्ञान और समृद्धि से अलग कर दिया। आज जो स्कूलों और कॉलेजों का हाल है वो क्या ही लिखा जाए! हम न जाने ऐसे लोग कैसे पैदा कर रहें हैं जिनमें जिम्मेवारी का कोई एहसास नहीं है?

सन्दर्भ

1. गोभिल गृह्यसूत्र (लेखक/व्याख्याकार-डा.सुधाकर मालवीय,चौखम्भा संस्कृत संस्थान,वाराणसी।
2. मनुस्मृति-हिन्दी टीकाकार लेखक हरगोविन्द शास्त्री,चौखम्भा कृष्णदास अकादमी,वाराणसी।
3. पारस्करगृह्यसूत्र-हरिहर गदाधर भाष्य,डा.जगदीशचन्द्र मिश्र,चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन,वाराणसी।
4. आश्वलायन गृह्यसूत्र-डा. जमुना पाठक, चौखम्भा सं सीरीज,वाराणसी
5. हितोपदेश-श्री नारायण राम काव्यतीर्थ,(चौखम्भा सं.प्रतिष्ठान,दिल्ली।
6. सामवेद- पं.श्री गगन कुमार चट्टोपाध्याय,द्वारकाधीश सं.अकादमी,द्वारका,जामनगर,गुजरात।
7. निरुक्त-श्री दुर्गाचार्य वृत्ति, चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन,वाराणसी।
8. नारदीय शिक्षा-शोभाकर भाष्य, चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन,वाराणसी